जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.-री.) / फा / प्रे. 1547 दि. 29.05.12

आदेश

विषय – 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में 'मुख्य मंत्री सबके लिए' विद्युत योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के क्रम में।

100 से कम आबादी की ढाणियों में "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना" (संशोधित) 2012 के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह योजना केवल 100 से कम आबादी की ढाणियों के लिये है।
2. 5 आवासों के लिए समूह में आवेदन करने वाले आवेदकों को इस योजना में कनेक्शन दिये जायेंगे।
3. 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों के लिए अलग से योजना प्रस्तावित है। अतः उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
4. इस योजना में 5 आवेदकों के समूह में आवेदन पत्र 1 जून 2012 से 30 जून 2012 तक ही लिये जायेंगे।
5. प्रत्येक समूह के लिए, स्थापित विद्युत तंत्र से, अधिकतम 2 किलोमीटर एल.टी. व एच.टी. (दोनों मिलाकर) लाईन खींचकर व 5 केवीए के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। इस योजना में 5 केवीए से अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जायेगा।
6. वितरण तंत्र की स्थापना के लिए अधिकतम 2.5 लाख रूपये तक की व्यय सीमा के अन्तर्गत एक समूह को घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे।
7. एक आवेदक का अधिकतम सम्बद्ध भार 1 किलोवाट से अधिक नहीं होगा।
8. प्रत्येक आवेदक द्वारा निर्धारित मांग राशि 3500/- रूपये प्रति कनेक्शन देय होगी।

9. आवेदन की राशि 200/– रूपये प्रति कनेक्शन होगी जो लौटाई नहीं जायेगी।
10. प्रत्येक समूह के लिए विद्युत तंत्र को स्थापित करने के लिए बनाये गये प्रस्तावित अनुमानकों की स्वीकृति संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 100 से कम आबादी के प्रमाणीकरण करने के उपरान्त ही जारी की जायेगी।
11. संबंधित सहायक अभियन्ता दिये गये कनेक्शनों का विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को प्रेषित करेंगे। मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर) राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (claim) प्रेषित करेंगे ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।
12. इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में कुल 30 हजार घरेलू कनेक्शन (प्रत्येक को दस –दस हजार) देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जोधपुर डिस्कॉम में जिलेवार दिये जाने वाले कनेक्शनों का निर्धारण जनगणना –2001 में वर्णित कुल रूरल हाऊस होल्ड की संख्या के अनुसार किया गया हैं। जनगणना –2001 के अनुसार दिये जाने वाले कनेक्शनों के लिये जिलेवार लक्ष्यों की सूची अनुलग्न "अ" पर संलग्न है। प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर दिये जाने वाले कनेक्शनों का पुनः निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर करेंगे।

आज्ञा से

(डी. सी. भूरट)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / चूरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर संभाग / बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, (   ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर / अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर / अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / पवस / टर्न–की / पीपीएम / एम.एण्डपी / बी.एफ.एल. / एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ / जैसलमेर / सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी–ट्रे), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (नगर / जिला / पवस / एम.एम.अंकेक्षण / वाणिज्य / सीपीसी एंव रोकड) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ।
- प्राविधिक सहायक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (   ), जोधपुर डिस्कॉम,..............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

अनुलग्नक 'अ'

मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शनों का जिलेवार निर्धारित लक्ष्य, वर्ष 2012–13

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल रूरल हाऊस होल्ड की संख्या – जनगणना 2001 के अनुसार	मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए कुल अनुमानित ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
(अ) जोधपुर डिस्कॉम			
1.	जोधपुर	289232	1398
2.	जालोर	219457	1060
3.	पाली	269020	1300
4.	सिरोही	130131	629
5.	बाडमेर	284796	1376
6.	जैसलमेर	70494	341
7.	बीकानेर	153767	743
8.	हनुमानगढ	196496	950
9.	श्रीगंगानगर	221080	1068
10.	चूरू	211388	1021
11.	नागौर (लाडनू)	23591	114
	कुल (अ)	**2069452**	**10000**